कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण)
एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़
नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

ई मेल– cwlwcg@gmail.com Ph. 0771-2512880, 2512853

क्रमांक/व.प्रा./समन्वय/ 104 रायपुर दिनांक 05 /01/2026

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) और क्षेत्रीय निदेशक
 उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर
 अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर
 इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर
 गुरू घासीदास-तमोर पिंगला आयगर रिजर्व, अंबिकापुर
2. मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट एलीफेंट
 सरगुजा, अंबिकापुर
3. निदेशक
 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर
 गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर
4. संचालक
 नंदनवन जू एवं सफारी, नवा रायपुर
 कॉनन पेण्डारी जूलॉजिकल पार्क, बिलासपुर
5. उप निदेशक
 उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद
 अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी
 इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर
 एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा
6. वनमण्डलाधिकारी
 बलौदाबाजार/कवर्धा/सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय :- **विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 24.12.2025 का कार्यवाही विवरण।**

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5919 दिनांक 22.12.2025

--00--

विषयान्तर्गत वन्यप्राणी प्रभाग अंतर्गत विभागीय महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा हेतु दिनांक 24.12.2025 को आहूत बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अरूण कुमार पाण्डेय भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त

सहायक लोक सूचना अधिकारी
प्र.मु.व.सं.अ.वन्यजीव.व.सं (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर,अटल नगर छ.ग.

विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक दिनांक 24.12.2025 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.12.2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक श्री अरूण कुमार पाण्डेय भा.व.से. द्वारा वन्यप्राणी प्रभाग अंतर्गत विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु संरक्षित क्षेत्रों के फील्ड अधिकारियों की बैठक ली गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

1. श्री व्ही. माथेश्वरन भा.व.से.	–	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
2. श्री वेंकटाचलम भा.व.से.	–	मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं क्षेत्र संचालक, गुरूघासीदास-तमोर पिंगला टा.रि. सरगुजा
3. श्री अभिषेक सिंह भा.व.से.	–	प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर।
4. श्रीमती सतोविशा समाजदार भा.व.से.	–	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) और क्षेत्रीय निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर
5. सुश्री स्टायलो मंडावी भा.व.से.	–	प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टायगर रिजर्व, जगदलपुर
6. श्री गणवीर धम्मशील भा.व.से.	–	वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार
7. श्री संदीप बलगा भा.व.से.	–	उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर
8. श्री श्रीनिवास तन्नेटी भा.व.से.	–	उप निदेशक, एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा
9. श्री वरूण जैन भा.व.से.	–	उप निदेशक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद
10. श्री सौरभ सिंह भा.व.से.	–	संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुंठपुर
11. श्री थेजस शेखर भा.व.से.	–	संचालक, जंगल सफारी, नवा रायपुर
12. श्री निखिल अग्रवाल, भा.व.से.	–	वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा
13. श्री विपुल अग्रवाल भा.व.से.	–	वनमण्डलाधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़
14. श्री एस.नवीन कुमार भा.व.से.	–	संचालक, कांगेर घाटी रा.उ. जगदलपुर
15. श्री समीर जोनाथन	–	सहायक संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व
16. श्री राजेन्द्र सोरी	–	अधीक्षक, कानन पेण्डारी जू, बिलासपुर
17. श्री अंकित कुमार पाण्डेय	–	अधीक्षक, गोमर्डा अभ्यारण्य
18. श्रीमती अनिता साहू	–	अधीक्षक, भोरमदेव अभ्यारण्य
19. श्री कृषाणु चन्द्राकर	–	अधीक्षक, बारनवापारा अभ्यारण्य

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण का स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक एजेण्डावार चर्चा प्रारंभ करते हुये निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय/केन्द्रीय योजना/कैम्पा मद अंतर्गत आबंटित बजट की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (माह नवम्बर, 2025 की स्थिति) पर संरक्षित क्षेत्रवार वनाधिकारियों से चर्चा की गयी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त

कार्या.प्र.व.सं (वन्यप्राणी)

विभिन्न योजनाओं अंतर्गत आबंटित राशि के विरूद्ध 10 प्रतिशत से भी कम व्यय होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। शेष संरक्षित क्षेत्रों में भी आबंटन के विरूद्ध संतोषजनक व्यय नहीं होने पर समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति को तीन माह शेष है इसके पूर्व समस्त योजनाओं को पूर्ण कर आबंटित राशि का शतप्रतिशत उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

किसी भी योजना का प्रस्ताव भेजने से पहले प्रस्तावित कार्य एवं स्थल का भली-भांति परीक्षण कर निर्णय लियाा जावे, ताकि भविष्य में कार्य अथवा स्थल परिवर्तन की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही निर्माण संबंधी कार्यो के लिए समय पर निविदा शर्तो को अनुमोदन प्राप्त किया जावे, ताकि कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व ही पूर्ण कराया जा सके। जेम के माध्यम से टेंडर किये जाने पर उसकी वैधता छः माह की होती है, अतः निर्माण संबंधी क्रय समाग्रियों के लिए निविदा समय पर किया जावे। निविदा संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर स्वीकृति प्राप्ति सुनिश्चित किया जावे।

विभागीय/कैम्पा मद अंतर्गत आबंटन एवं व्यय राशि की अद्यतन जानकारी हेतु आप सभी को निर्धारित प्रपत्र प्रेषित किया गया है, उसमें नियमित रूप से जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, तत्संबंध में प्रतिमाह समीक्षा की जावेगी।

❖ बारनवापारा अभ्यारण्य में रखे वन भैंसों को उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व में ले जाने हेतु गठित समिति द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति के संबंध में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर द्वारा बताया गया कि बारनवापारा अभ्यारण्य से वन भैंसों को उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट करने हेतु ट्रांसलोकेशन प्रोटोकॉल का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उक्त प्रस्ताव में वन भैंसों का ट्रांसलोकेशन प्लान, आगामी 5 वर्षो में की जाने वाली कार्यवाही इत्यादि शामिल है। प्रस्ताव एक-दिवस में मुख्यालय को प्रेषित कर दी जावेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत प्रस्ताव अनुमति हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को प्रेषित करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को निर्देशित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पत्र राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को प्रेषित किये जाने के उपरांत मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर दिल्ली प्रवास कर अनुमति प्राप्ति की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

❖ मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों से उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व एवं गुरू घासीदास तमोर पिंगला टायगर रिजर्व में बाघों के ट्रांसलोकेशन की प्रगति के बारे में संचालक, गुरू घासीदास तमोर पिंगला टायगर रिजर्व द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी हॉल ही में मध्यप्रदेश के पेंच टायगर रिजर्व से रामगढ़ विशधारी टायगर रिजर्व, राजस्थान में बाघ ट्रांसलोकेशन किया गया है, तथा वहां पर 02 हेक्टेयर का बाड़ा तैयार किया गया है। पन्ना टायगर रिजर्व (मध्यप्रदेश) के सुझाव अनुसार रामगढ़ विशधारी टायगर रिजर्व में बनाये गये बाड़े के अवलोकन हेतु अध्ययन प्रवास किया गया था। तदानुसार गुरू घासीदास तमोर पिंगला टायगर रिजर्व में बाघ रिलोकेशन हेतु बाड़ा डिजाईन फाईनल कर लिया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा गुरू घासीदास तमोर पिंगला टायगर रिजर्व में बाघ रिलोकेशन हेतु 01 हेक्टेयर का बाड़ा बनाने निर्देशित किया गया, इस हेतु सैद्धांतिक सहमति तथा आवश्यकतानुसार बजट की मांग कर एक माह के अंदर बाड़ा तैयार करते हुये

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त

जनसूचना अधिकारी
कार्या.प्रभु.व.सं (वन्यप्राणी)

15 फरवरी, 2026 तक बाघ टांसलोकेशन संबंधी पूर्ण तैयारी कर लेवे। साथ ही तथा वहां पर प्रे-बेस बढ़ाये जाने हेतु अन्य संरक्षित क्षेत्र/चिड़ियाघर (मनगट्टा, बारनवापारा, जंगल सफारी, कानन पेण्डारी जू आदि) से आवश्यकता अनुसार चीतल,नीलगाय एवं अन्य शाकाहारी वन्यप्राणी का ट्रांसलोकेशन किया जावे, इस हेतु मुख्यालय स्तर से अनुमति की आवश्यकता हो, तो शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित करें। टायगर लाने से पहले एक माह के अंदर दो चरणों में कम से कम 80 चीतल ट्रांसलोकेट किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य जनवरी माह ही हो जाय, यह सुनिश्चित किया जावे।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर द्वारा मध्यप्रदेश से उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व ट्रांसलोकेट किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया किया राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के प्रे-बेस मूल्यांकन किये जाने तक बाघ ट्रांसलोकेशन स्थगित रखे जाने कहा गया है। वर्तमान में अखिल भारतीय बाघ आंकलन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत फेस -1 में साईन सर्वे का डाटा आने पर इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को मूल्यांकन हेतु प्रेषित किया जायेगा। WII से असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर बाघ ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने तक उदंती में प्रे-बेस बढ़ाने का कार्य करते रहने के निर्देश दिये गये। इस हेतु नंदनवन, जंगल सफारी, मैत्रीबाग एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों के अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यकतानुसार चीतल, नीलगाय एवं अन्य शाकाहारी वन्यप्राणियों के ट्रांसलोकेशन की कार्यवाही एक माह के भीतर कर लेवे।

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 29.10.2025 में दिये गये निर्देशानुसार भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के तकनीकी मार्ग-दर्शन में वन भैंसों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से लैंडस्केप बेस्ड कंजर्वेशन प्लान तैयार करने के संबंध में उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर द्वारा पावर पाईट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में दिये गये 07 बिन्दुओं में 04 बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है, एवं बिन्दु क्रमांक 04 अनुसार पामेड़-इन्द्रावती-उंदती सीतानदी टायगर के सन्निहित क्षेत्र को वाईल्ड लाईफ कॉरिडोर बनाना है, इस संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक माह जनवरी, 2026 के प्रथम सप्ताह में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आयेंगे।
- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्रीन गुफा को पर्यटको के लिए खोले जाने के संबंध में संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा पावर पाईट के माध्यम से ग्रीन गुफा के प्रवेश द्वारा, सीढ़ी, पाथवे इत्यादि संरचनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा उपरोक्त संरचनाओं के अवलोकन उपरांत उसमें निर्देशानुसार संरचना में परिवर्तन कर माह जनवरी माह के अंत तक पर्यटको के लिए गुफा खोलने के निर्देश दिये गये। गुफा खोलने की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने हेतु अच्छे साईनेज, फाटो, वीडियों के माध्यम से रायपुर एवं बस्तर जिला में व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। उक्त साईनेज समस्त मुख्य वन संरक्षक और वनमण्डलाधिकारी को भी उपलब्ध करावें ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर सके।
- इन्द्रावती टायगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण परियोजना पर उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व द्वारा प्रस्तुतीकरण देते हुये अवगत कराया गया कि इद्रावती टायगर रिजर्व में तीन प्रजाति के गिद्ध क्रमशः (1)इंडियन वल्चर (2) वाईट रम्प्ड वल्चर एवं (3) ग्रिफन वल्चर पाये जाते है। वर्ष 2022-2023 में गिद्धों के संरक्षण हेतु बेस लाईन सर्वे किया गया, जिसमें

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त

जनसूचना अधिकारी
वकार्या.प्रपु.व.सं (वन्यप्राणी)

नेस्टिंग, रूस्टिंग साईट एवं होमरेंज की जानकारी प्राप्त हुई। इस हेतु कैम्पा से स्वीकृति मिली थी। वर्ष 2023-24 में गिद्धल मित्र दल का गठन किया गया, जिनके द्वारा गिद्धों की निगरानी एवं पशु शव के प्रबंधन के साथ-साथ 50 से अधिक गांव एवं स्कुलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। वर्ष 2024-25 में गिद्ध रेस्टोरेंट की स्थापना की गयी, 02 गिद्धों की सेटेलाईट टेगिंग एवं रिंगिंग एवं वर्ष 2025-2026 में 03 और गिद्धों की सेटेलाईट टेगिंग किये जाने की योजना है, इसके लिए बजट एवं भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता है।

तत्संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्राक्कलन सहित शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये।

- परिवेश पोर्टल 2.0 में वन्यजीव वार्डन स्तर पर उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत 02 लंबित प्रकरण, एलीफेंट रिजर्व अंतर्गत 04 लंबित प्रकरण एवं अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत 01 लंबित प्रकरण पर चर्चा करते हुये निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों की सूक्ष्मता से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही किये जावे। वाईल्ड क्लीयरेंस संबंधी प्रकरणों की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, वन द्वारा की जाती है, अतः यह सुनिश्चित करें कि आपके स्तर से कोई भी प्रकरण लंबित न हो। साथ ही आवेदक संस्थान स्तर पर लंबित प्रकरणों के संबंध में उनसे संपर्क कर प्रकरणों के लंबित होने के कारणों का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
- अखिल भारतीय बाघ आंकलन अंतर्गत किये जाने कार्यो के संबंध में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया गया कि बाघ आंकलन हेतु फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण क्रर ली गयी है। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्रो के प्रशिक्षण दिया जाना शेष है। MSTRiPES के ईकोलॉजिकल एप अपडेट नहीं होने के कारण रेंज, बीट की मेपिंग सही ढंग से नहीं हो पाई है, जिससे फेस 1 का डेटा कलेक्शन का कार्य नहीं किया जा सका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से प्रदेश की शेप फाईल अद्यतन किये जाने के उपरांत उक्त ईकोलॉजिकल एप अपडेट होगा, जिसके बाद ही फेस-1 का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा टायगर रिजर्व क्षेत्र के साथ साथ समस्त संरक्षित क्षेत्र तथा क्षेत्रीय वनमण्डलों में ए-स्ट्राईप पेट्रोलिंग एप द्वारा हर माह पेट्रोलिंग किये जाने के निर्देश दिये।
- मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व द्वारा अवगत कराया गया कि दुर्ग वनमण्डल अंतर्गत बीटों में ट्रांजेक्ट लाईन पाईट की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः दुर्ग वृत्त के समस्त वनमण्डलों साथ ही रायपुर वृत्त के वनमण्डलों में एक बैठक लिये जाने का अनुरोध किया गया। तत्संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) द्वारा बैठक हेतु एजेण्डा बनाकर प्रस्तावित करने के निर्देश दिये।
- जनहानि एवं वन्यप्राणी मृत्यु की जानकारी 24 घंटे के अंदर मुख्यालय को प्रेषित करें साथ ही इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये गूगलशीट में जानकारी की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करें।
- संरक्षित क्षेत्रों के ईको सेंसेटिव जोन के अंतर्गत Prohibited, Regulated and Promoted किन कार्यो की सूची समस्त वन अमले के पास उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि नियमों के विपरीत कोई कार्य न हो।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त

जनसूचना अधिकारी
कार्या.प्रमु.व.सं (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर,अटल नगर छ.ग.

- वन एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर फंदा लगाकार बड़ी संख्या में अवैध शिकार के मामले सामने आते है तथा बड़ी संख्या में अपराधी पकड़ भी गये है, इन्हें सामाजिक स्तर पर बहिष्कृत करने के लिए संबंधित गांव के मुखिया, धर्मगुरू, प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं समाज सेवी संस्था के साथ बैठक कर उनके गांव में कैम्प लगाकर घटित हुये अवैध शिकार की फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाकर वन्यजीव अपराध की रोकथाम हेतु जागरूकता लाने अपील करें तथा अपराधी को दण्डित करने अथवा बहिष्कृत करने अपील किया जावे। इस प्रकार की बैठक पहले कवर्धा वनमण्डल एवं उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत किये जाने हेतु योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये। साथ ही समस्त वनाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की अपराधियों/संदिग्धों की सूची संधारित करने के निर्देश दिये गये।
- सामाजिक अंधविश्वास के चलते बाघ, कछुआ, उल्लू, सेंड बोआ आदि के शिकार की रोकथाम तथा बचाव हेतु अच्छे डिजाईन के पाम्प्लेट, पोस्टर बनाकर प्रचार प्रसार किया जावे तथा अलग-अलग जनजाति समुदाय के भिन्न -भिन्न प्रतीक चिन्ह (वन्यप्राणी संबंधी) होते है, उनसे सम्पर्क कर उनके समुदाय से संबंधित प्रतीक चिन्ह वाले वन्यप्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर उनकी सुरक्षा हेतु अपील किया जाए। किस-किस वन्यप्राणी को लेकर क्या-क्या अंधविश्वास है, यथा-झरण पूजा आदि उसके संबंध में डाक्यूमेंट तैयार कर किया जावे।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा बारनवापारा अभ्यारण्य के लोगो का विमोचन किया गया।
- वनमंडलाधिकारी बलौदाबजार को संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य उद्देश्य हेतु विभिन्न फाउंडेशन एवं संस्थाओं यथा 7 आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन, एक्सिस फांडेशन, एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., एस.ई.सी.एल. आदि संस्थाओं की सूची उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया ताकि सी.एस.आर. फंड से राशि उपलब्ध कराने बाबत बैठक की जा सके।
- अचानकमार टायगर रिजर्व से ग्रामों का विस्थापन कार्य प्रगति पर है, वर्तमान में 03 ग्रामों के विस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसके लिए कैम्पा से राशि प्राप्त हो चुकी है। बाकी संरक्षित क्षेत्रों से भी ज्यादा से ज्यादा ग्रामों के विस्थापन हेतु प्रयास किया जावे, इस हेतु संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामवासियों से संवाद कर शासन की योजनाओं तथा ग्राम विस्थापन के लाभ के बारे उन्हें पूरी जानकारी देते हुये व्यवस्थापन हेतु कंनवेंस करें। अचानकमार टायगर रिजर्व के अतिरिक्त अन्य किसी संरक्षित क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विस्थापन की कार्यवाही संबंधी डी.जी.पी.एस. सर्वे, ग्रामवासियों से सहमति इत्यादि कार्यवाही हुई हो तो विस्तृत जानकारी/प्रस्ताव मुख्यालाय को उपलब्ध करावें।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त

अधिकारी
प्र.मु.व.सं (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर,अटल नगर छ.ग.